कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2022/ 151 दिनांक : 04.02.2022

-:: आदेश ::-

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरन्तर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के आदेश प.7(1)गृह-7/2021 जयपुर दिनांक 04.02.2022 में जारी आदेश की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश क्रमांक पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2022/34 दिनांक 10.01.2022 व 123 दिनांक 29.01.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश की निरन्तरता में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :-

1. जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→e-intimation या 181 पर देनी होगी। उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।

   विवाह-समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।

OFFICE OF THE DCP HEADQUARTER AND TRAFFIC सत्यमेव जयते JODHPUR

2. समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल-डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 34 दिनांक 10.01.2022 के बिन्दू सं. 7 में संशोधन किया जाकर समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालूओं/दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस दौरान फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा।
4. इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 123 दिनांक 29.01.2022 के बिन्दू सं.5 अनुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में लगाए गये रात्रिकालीन कर्फ्यू (प्रतिदिन रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक) को समाप्त किया जाता है।

04/02/2022

0291-2650900☎, 2650903🖷, cp-jodhpur-rj@nic.in✉, CP Jodhpur(facebook), @cp_jodhpur(Twitter), PIN-342003

5. उक्त आदेश दिनांक 05.02.2022 से प्रभावी होगा।

6. उपरोक्त के अलावा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेगे।

अतः जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज **दिनांक 04.02.2022** को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

OFFICE OF THE DCP HEADQUARTER AND TRAFFIC
सत्यमेव जयते
JODHPUR

विनीत 4/2/2022

(विनीत कुमार बंसल)
पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर
Dy Commissioner of Police
Headquarter & Traffic
Jodhpur

प्रतिलिपिः निम्न को सादर सूचनार्थ -

1. मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
6. जिला कलक्टर, जोधपुर।
7. पुलिस उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/अपराध, जोधपुर आयुक्तालय।
8. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/यातायात जोधपुर आयुक्तालय।
9. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, जोधपुर आयुक्तालय को पालनार्थ।
10. समस्त थानाधिकारीगण, आयुक्तालय जोधपुर को पालनार्थ।
11. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, जोधपुर आयुक्तालय।
12. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
13. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जोधपुर आयुक्तालय।

विनीत

पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर
Dy Commissioner of Police
Headquarter & Traffic
Jodhpur